सख्या:-97/2024/आई751157/001-131आ0/23-5002-002-68-2023
(कम्प्यूटर सं0-1769325)

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 24 सितम्बर, 2024**

विषय: निरीक्षण भवन, लो0नि0वि0, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज परिसर में (28 सूट+03 वी0आई0पी0 सूट) सूट्स का निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता(भवन),उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ (भवन वर्ग)के पत्र सं0-1095जी/9(2) बी0पी0 विंग/2023, दिनांक 09.10.2023 एवं पत्रांक-151जी/9(2)बी0पी0-विंग/2024, दिनांक-20.02.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में प्रयागराज में "निरीक्षण भवन, लो0नि0वि0, ड्रमण्ड रोड प्रयागराज परिसर में (28 सूट+03 वी0आई0पी0 सूट) सूट्स के निर्माण कार्य" हेतु लोक निर्माण अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 13/2019/259आ0/23-5-18-09(भवन)/2018 दिनांक 14.02.2019 द्वारा रू0 691.29 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 30.29 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। कालांतर में विभिन्न शासनादेशों द्वारा अब तक कुल रू0 605.29 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- उक्त निरीक्षण भवन की वर्किंग ड्राइंग में प्लिंन्थ एरिया में परिवर्तन होने से कार्य के स्कोप तथा सिविल एवं विद्युत सम्बन्धी कार्यों में वृद्धि होने के दृष्टिगत मुख्यालय, लो0नि0वि0, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 09.10.2023 एवं 20.02.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रस्ताव/आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निम्नांकित विवरणानुसार प्रश्नगत कार्य की श्री राज्यपाल **रू0-1409.86 लाख (रू0 चौदह करोड़ नौ लाख छियासी हजार मात्र)** की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	जनपद/कार्य का विवरण	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षण लागत	
			(धनराशि लाख रू0 में)	
1	2	3	4	
1	निरीक्षण भवन, लो0नि0वि0, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज परिसर में (28 सूट+ 03 वी0आई0 पी0 सूट) सूट्स का निर्माण कार्य।	691.29	**1409.86**	
			सिविल कार्य हेतु	**890.92**
			विद्युत सम्बन्धी कार्य	**518.94**
योग :-		**691.29**	**1409.86**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

2- लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

4- अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगा। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

5- प्रस्तावानुसार प्रश्नगत कार्य हेतु आंकलित लागत में लेबर सेस उपकर की धनराशि श्रम विभाग को वास्तविक रूप में भुगतान किया जायेगा।

6- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

7- कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 की धनराशि नियमानुसार समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी।

8- पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

9- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10- प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति(डुपलीकेशी) को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

11- प्रश्नगत प्रायोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 एवं समय-समय पर यथा संशोधित सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

14- उक्त व्यय का वहन आय-व्ययक के सुसंगत मद के अन्तर्गत किया जायेगा तथा प्रायोजना का भविष्य में पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रश्नगत परियोजना पर होने वाला व्यय आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059800512100 निरीक्षण भवनों/सर्किट हाउसों का जीर्णोद्धार/निर्माण(चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-यू0ओ0-ई-8-206-X-2024-25, दिनांक 23 सितम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव।

संख्या:-97/2024/आई751157/001-131आ0(1)/23-5-2024तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी प्रयागराज।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन/वि0/यॉ0)/प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0।
10- अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त,लो0नि0वि0,प्रयागराज।
11- अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड/वि0/यॉ0, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
12- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।